८

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1043/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(204)-2021

लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर,2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017)उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-851/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आ(18)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540	खट्टे फल से भिन्न अन्य निम्नलिखित वाष्पशील तेल, अर्थात्: क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)।	कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति।";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव